शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.III, pp (875-883) July - Sep. 2019

भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में चुनाव आयोग की भूमिका

योगेश कुमार
एम0फिल0 राजनीति विज्ञान
एम0एम0 (पी0जी0) कालेज,
मोदी नगर, गाजियाबाद
email: yogi.kain582@gmail.com

डा0 हरीश कुमार
आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
एम0एम0 (पी0जी0) कालेज,
मोदी नगर, गाजियाबाद

सारांश

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की है, संसदीय प्रजातंत्र का अर्थ है राज्य की कार्यकारिणी एवं विधायनी शक्ति का जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग होना। इस व्यवस्था में जन–प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है।

सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की एक आवश्यक शर्त है – निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों द्वारा विधायी संस्थाओं के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुना जाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्वाचन पूर्णतः निष्पक्ष भाव से होने चाहिए। इसलिए संविधान में विशेष उपबन्धों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिति से लाभ उठाते हुए निर्वाचनों के संचालन में अपने लाभ के लिए किसी प्रकार का प्रभाव न डाल सके। अतः प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है, कि वास्तव में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, यह अधिकार वास्तविक उसी समय होता है, जबकि निर्वाचन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रहे, इसलिए निर्वाचन कराने का दायित्व संविधान द्वारा एक स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है।

प्रस्तावना

अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में सभी निर्वाचनों का पर्यवेक्षण (Superintendence), निर्देशन (Directon) तथा नियंत्रण (Control) एक स्वाधीन एवं निष्पक्ष संस्था में निहित है जिसे 'निर्वाचन आयोग (Election Commission) का नाम दिया गया है। आयोग को अन्य शक्तियों के साथ यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह निर्वाचनों से उत्पन्न होने वाले तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध ा में उठने वाले विवादों तथा याचिकाओं (Petitions) का निर्णय करने के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरणों की स्थापना करें। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होंगे। अन्य आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर

आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। कांग्रेस (आई) सरकार ने नवें साधारण निर्वाचन प्रारम्भ होने के ठीक एक सप्ताह पहले 16 अक्टूबर, 1989 को दो और आयुक्त नियुक्त करके इसे बहु–सदस्यीय आयोग बना दिया। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने पर नियमों का संशोधन करके आयोग को फिर से एक सदस्यीय बना दिया। 1 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश व अधिसूचना के माध्यम से चुनाव आयोग में दो अन्य आयुक्तों श्री एम.एस. गिल तथा श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति करके आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया। वर्तमान समय में त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग (मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एम. एस. गिल, अन्य आयुक्तों में श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति एवं श्री जे.एम. लिंगदोह)।

भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का हृदय जिस प्रकार हृदय ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुनावों द्वारा जनता अपने सशक्त प्रतिनिधियों को सत्तासीन करती है, और उस भाव से सत्तासीन करती है कि यह प्रतिनिधि देश की जनता के लिए कार्य करें। जिस प्रकार हृदय शरीर से लौटे रक्त को छानकर ऑक्सीजन प्राप्त करके फेफड़ों तक भेजता है, उसी प्रकार चुनावों के दौरान जनता अपने प्रतिनिधियों के क्रिया–कलापों की जांच करके उन्हें अगली अवधि के लिए प्रतिनिधित्व का मौका देती है। अगर वह जांच प्रक्रिया की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता उन्हें छोड़कर दूसरे प्रतिनिधियों को भी अवसर देती है। धन तथा बाहुबल का प्रयोग इस प्रक्रिया को प्रदूषित कर रहा है जब हृदय ही ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जायेगी और ज्वालामुखी विस्फोट की भॉति विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ज्वालामुखी विस्फोट का शिकार हो जायेगा। अतः ऐसे में निर्वाचन आयोग की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका और उसका योगदान इस तथ्य से भी सुनिश्चित हो जाता है कि 'निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए और कुछ अन्य अनुशंगी कार्यो के लिए, संविधान निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का जो उपबन्ध किया है (अनुच्छेद 324)। निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने के लिए जो उपबंध हैं उसके कारण वह कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाता है और देश में सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण से मुक्त निर्वान सुनिश्चित हो जाता है। निर्वाचन आयोग उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की भांति ही कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर, निष्पक्षता से कार्य सम्पादित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को हटाने सम्बन्धी प्रावधानों से भी आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। यह स्थिति पर्याप्त संतोषजनक प्रतीत होती है।

यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान समय में त्रिसदस्यीय आयोग काम कर रहा है, लेकिन इसमें में चुनाव आयोग को उसका वास्तविक महत्व दिलाने का श्रेय भी तिरूनैल्यै नारायण अय्यर शेषन को जाता है। उनकी जुझारू प्रवृत्ति के कारण ही चुनाव आयोग अपना वास्तविक बावजूद हासिल कर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग वास्तव में कर सका।

अतः स्पष्ट है कि संसदीय प्रजातंत्र में चुनाव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में चुनाव आयोग की भूमिका व उसका योगदान महत्वपूर्ण है।

चुनाव कब हों? इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? अभी तक इस अधिकार का प्रयोग भारत सरकार ही करती आई है। यहां तक कि कई स्थानों के उपचुनाव वर्षो तक स्थगित रहे फिर भी, सरकारी पहल के अभाव में वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सके। कश्मीर में चुनाव कराने के सवाल पर चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत सरकार ने चुनाव आयोग को कश्मीर में चुनाव आयोजित करने का निर्देश दिया किन्तु आयोग ने कश्मीर का दौरा कर यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ मौजूदा परिस्थितियों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते, अतः उसने कश्मीर में चुनाव नहीं कराने का फैसला किया। जिसके कारण उसे उच्चतम न्यायालय की फटकार भी सहनी पड़ी लेकिन ये चुनाव आयोग की सूझबूझ का ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में सही मौका तलाश कर सात साल बाद 23 मई, 1996 में बारामूला और अनंतनाग की दो संसदीय और अन्य सीटों पर चुनाव कराकर वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कराने में तथा कश्मीर विस्थापितों को भी डाक द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान कर संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जम्मू एवं कश्मीर में लोकसभा चुनाव काफी महत्व रखते थे क्योंकि यह चुनाव साढ़े 6 साल के बाद करवाये जा रहे थे, दूसरे यह चुनाव कई सप्ताह के अंतराल के बाद तीन चरणों में कराये गये। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव 87 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी हुआ जिनकी संख्या पहले से 11 अधिक थी। इस बार 230 मतदान केन्द्रों में भी बढ़ोत्तरी हुई।

आतंकवादी संगठनों व ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेस के चुनाव बहिष्कार के आहवान के बावजूद मतदाताओं ने जम्मू व लद्दाख की सीटों पर 65 प्रतिशत से ज्यादा मतदान किया। लद्दाख सीट पर तो 75 प्रतिशत मतदान हुआ।[4] अनंतनाग और बारामूला सीटों के अप्रत्याशित रूप से अधिक मतदान–35 से 43 प्रतिशत तक हुआ। इस बार के संसदीय चुनावों में मतदान का प्रतिशत 1989 के 5 फीसदी के मुकाबले 1996 में 40 फीसदी हो गया।

श्री टी.एन. शेषन के नेतृत्व में मौजूदा चुनाव आयोग ने विवदास्पद निर्णय भी लिये, इनमें से कुछ निर्णय बहुत सराहे गये हैं, तो कुछ की आलोचना भी हुई कुछ को न्यायालय ने निरस्त भी कर दिया। जिसके कारण पिछले कुछ समय में आयोग की मुखरता पर अंकुश भी लगा है। लेकिन चुनाव सुधारों की एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षो के अनुभव के आधार पर श्री शेषन आयोग की परम्परागत भूमिका से संतुष्ट नहीं हुए तथा कुछ मौलिक काम कर दिखाये और ये सुधार की प्रक्रिया अभी भी सतत् जारी है।

चुनाव प्रणाली में सुधार की दिशा में समय–समय पर अनेक आदेश जारी कर चुनाव आयोग ने एक के बाद एक अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये और भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में अपनी सशक्त भूमिका अदा की और चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने में महत्वपूर्ण योदगान दिया है, जो निम्न प्रकार से है –

(1) पहला कदम मतगणना के सम्बन्ध में था जिसके अनुसार एक विधानसभा क्षेत्र के

सभी मतपेटिकाओं को एक जगह एकत्र कर सभी मतपत्रों को मिलाकर मतगणना करना था जिससे यह पता न चल सके कि किस केन्द्र पर किस वर्ग के लोगों का किस उम्मीदवार के लिए कितना वोट पड़ा।

(2) दूसरा कदम चुनाव प्रसार हेतु सराकरी वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाया जाना है, निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा (केवल प्रधानमंत्री और दूसरे ऐसे राजनेता इसके अपवाद, होंगे, जिन्हें आतंकवादी और अग्रवादी गतिविधियों के कारण सुरक्षा की आवश्यकता है) जिसमें केन्द्र या राज्यमंत्री भी शामिल हैं, भुगतान के बावजूद ऐसे प्राधिकारियों के ऐसे वाहनों का चुनाव प्रचार के लिए या निर्वाचन से संबंधित दौरों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक उपक्रम स्थानीय निकायों सहित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन वाहनों का निर्वाचनों में दौड़ धूप के दौरान प्रयोग किये जाने का पता चलता है तो जिला मजिस्ट्रेट तत्काल जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी कर रहे अधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऐसे वाहनों को अधिग्रहीत करेगा या अधिग्रहीत करायेंगे।

चुनाव आयोग ने कड़ाई से इसका पालन किया इसके फलस्वरूप अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जैसे चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की छः रिक्त सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों को अचानक स्थगित कर दिया। अचानक चुनाव स्थगित करने का कारण मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में सरकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रित एक सोसाइटी के हैलीकाप्टर का उपयोग करके आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना गया।

आयोग के निर्देषानुसार किसी भी परिस्थिति में एक साथ तीन वाहनो से बड़े काफिले की अनुमति नहीं दी गई। यदि निर्वाचनों के दौरान ज्यादा वाहनों के प्रयोग का पता चलता है तो जिला मजिस्ट्रेट तत्काल ऐसे वाहनों को अधिग्रहीत करेगा या करायेगा। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी न होने तक वाहन मुक्त नहीं जायेंगे और चुनावी खर्च की रिपोर्ट मांगी जायेगी।

आयोग ने सन् 1996 में राजस्थान में भी निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से चुनाव के दौरान पर्चो और पोस्टरों आदि की छपाई के लिए प्रिटिंग मशीन वालों को संबंधित पर्चो और पोस्टरों पर प्रकाशक के हस्ताक्षर करने के आदेश दिये और ये हस्ताक्षर ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो जिनको मुद्रक व्यक्तिगत तौर पर जानता हो।

चुनाव आयोग ने न केवल लोकसभा, विधान सभा चुनावों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की, बल्कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों के होने वाले चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की थी।

निर्वाचन आयोग ने 'जेड' सुरक्षा प्राप्त प्रत्याषियों के सुरक्षा गार्डो को मतदान केन्द्र की सौ वर्ग मीटर की परिधि में प्रवेश में रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है, लेकिन सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी।

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से जमानत राशि में वृद्धि की, जमानत राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये कर देने का अत्यंत अनुकूल प्रभाव

पड़ा है। पिछले आम चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों की संख्या लगभग एक तिहाई रह गई है। आयोग के इस कदम का ये महत्व रहा है कि उम्मीदवारों में से योग्य प्रतिनिधि चुनने में मतदाताओं को बहुत आसानी हुई।

चुनाव खर्च की सीमा को और अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 1998 के लोकसभा चुनाव प्रचार पर व्यय को साढ़े चार लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख कर दिया ताकि उम्मीदवारों को आयोग की इन सीमाओं में भीतर रहने के लिए झूठे हलफनामे दाखिल न करने पड़ें।

अब उम्मीदवार रात दस बजे के बाद चुनाव प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के विवरण में अपनी पार्टी के अतिरिक्त समर्थक संगठनों द्वारा किए खर्चो को भी शामिल करने का आदेश दिया।

चुनाव आयोग ने हाल ही में सम्पन्न चुनावों में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को पीने का पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठायें।

एक और महत्वपूर्ण फैसले के अन्तर्गत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर निःशुल्क चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी नई प्रसारण योजना की घोषणा की और विगत चुनावों में इस योजना पर अमल भी किया गया है।

चुनावों के दौरान धांधली, बोगस मतदान तथा बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का राजधानी में 1998 में सम्पन्न 6 विधान सभा क्षेत्रों में पहली बार इस्तेमाल, करके चुनाव आयोग ने क्रान्तिकारी कदम उठाया है।

चुनाव आयोग ने सन् 1998 के चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित राज्यों के ऐसे 26 निर्वाचन क्षेत्रों की शिनाख्त करके आयोग ने इन क्षेत्रों के चुनाव अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि यहां कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर मतदान केन्द्रों और 100 मीटर के दायरे में घूमता नजर नहीं आए। साथ ही आयोग ने इन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त चुनाव पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाने के निर्देश दिये हैं।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का सबसे बड़ा फायदा नतीजे का तुरन्त पता लगना है। मशीनों के चंद बटन दबाकर उम्मीदवारों की जीत हार का ब्यौरा मिल सकता है।

चुनाव आयेाग ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की कि किसी भी व्यापारिक औद्योगिक अथवा किसी भी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के लिए उस दिन का अवकाश प्रदान किया जायेगा। घोषित अवकाश के लिए किसी भी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

जन–प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में मतदान के लिए अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर मालिकों पर 500 रूपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की दिशा में तीन महत्वपूर्ण फैसले किए। इन फैसलों में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक, नई परियोजनाओं के शिलान्यास की मनाही और चुनाव अधिकारियों की अपने गृह नगरों में नियुक्ति पर पाबंदी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने चुनावी अधिसूचना जारी होने से चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक इस प्रकार के निर्णयों को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

उदाहरणार्थ सन् 1996 में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे की संचालन समिति के संयोजक एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंन्द्रबाबू नायडू को चुनाव आयोग ने चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी करार दिया है। श्री नायडू ने चित्तूर जिले में गत 19 सितम्बर को 45 करोड़ की पेयजल की परियोजना का शिलान्यास कर आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया था।

निर्वाचन आयोग ने चार राज्यों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मिजोरम के विधानसभा चुनावों के दौरान इन राज्यों की सरकारों से आग्रह किया है कि चुनावों के मद्देनजर प्रमुख वित्तीय तथा अन्य निर्णय न लें।

आयोग ने कहा कि समस्त सरकारें ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी, जिससे लगे कि वह मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता को सभी दलों ने मंजूरी दी और इसी पर अमल करते हुए 1998 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में दलीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को आचार संहिता तथा अनुशासन के सूत्र में बांधने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। आचार संहिता के तहत कांग्रेस महासमिति के सदस्य और दल पदाधिकारी 3 माह के भीतर अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे। दल को टिकट देते समय यह हलफनामा भी अब देना होगा कि संबंधित नेता पर कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है। ऐसा न करने पर टिकट की अर्जी खारिज कर दी जाएगी। यही नही किसी अपराधिक मामले में कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी की सूचना दल की जिला और प्रदेश इकाई से होकर कांग्रेस मुख्यालय के कंप्यूटर तक पहुंचायी जाएगी।

चुनाव आयोग ने सभी दलों के संगठनात्मक चुनावों के बारे में भी आदेश जारी किये और कहा कि संगठनात्मक चुनाव के बारे में चुनाव आयोग जनता दल या किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतेगा और कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अंत में सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि पिछले और इस बार के आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में आयोग के डंडे का इतना असर रहा, कि पार्टी से जुड़े उम्मीदवार की नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्टि आदर्श आचार संहिता के दायरे में सिमटने के लिए मजबूर हुए। इन चुनावों में न तो पानी की तरह बहता पैसा नजर आया है और न रंग–बिरंगे पोस्टरों–नारों से बदरंग हुई दीवारें देखने को मिली हैं। न दानवी आकार के कटआउट,

न कर्णकटु स्वर में दहाड़ते लाउडस्पीकर और न प्रचार वाहनों के कारवें ही नजर आये। लगता था जैसे चुनाव हो ही न रहे हों। प्रत्याशी स्वयं घर–घर जाकर वोट मांग रहे हैं, 'उम्मीदवार ही नहीं दल भी खर्चो में कटौती के लिए बाध्य हो गये। चुनावी शोर शराबे, बैनरबाजी पर काफी हद तक आयोग का नियन्त्रण प्रभावी रहा। लेकिन यदि यही माहौल बरकरार रहता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं। शांत और स्थिर चित्त से सोच समझकर मतदान करने के लिए यह आदर्श माहौल हैं।

लंबे अरसे से चुनावी हल्ले (शोर) से ऊब चुकी जनता ने राहत की सांस ली। चुनाव प्रचार में फीकेपन के बावजूद पिछले आम चुनाव की तुलना में 1996 के आम चुनावों और 1998 में मध्यावधि चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि कुछ जगहों पर कम मतदान हुआ है लेकिन इस बार मतदाता ने आयोग के डंडे के सहारे बेहिचक, बेरोकटोक एवं निर्भीक होकर न केवल भाग लिया बल्कि इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उनका वोट किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में जाएगा। छिटपुट तौर पर हिंसा की ओर आचार संहिता के उल्लंघन की खबरें आने पर आयोग ने तुरन्त सख्त रूख अपनाया और गड़बडी वाले मतदान केन्द्रों पर पुर्नमतदान कराकर स्वच्छ व निष्पक्ष चुनावों की मिसाल कायम की।

अतः कहा जा सकता है कि निःसंदेह चुनाव आयोग ने भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में बहुत योगदान दिया है। यद्यपि आयोग की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए कई बार उच्चतम न्यायालय की फटकार भी सहनी पड़ी। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय की नजर में चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयेाग की वास्तविक भूमिका क्या है? सरकार समझ यह रही है कि चुनाव कराने का अधिकार तो सरकार का ही है। चुनाव आयोग का दायित्व सिर्फ परिभाषित सीमाओं के भीतर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराना है।

इसके विपरीत न्यायिक राय यह उभरती है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया में यानी घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक चुनाव आयोग की कुछ स्वायत्त भूमिका है तो आयोग की सक्रियता का दायरा बढ़ेगा। बेशक इसके बावजूद यह संसद द्वारा पारित कानूनों की सीमा में ही काम करेगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद–324 के तहत चुनावों के 'संचालन' का जो उत्तरदायित्व उसे सौंपा गया है, उसके निर्वाह के लिए वह अपनी स्वायत्ता का काफी विस्तार कर सकेगा[63] और जनमत का झुकाव भी इस तरह बढ़ता जाता है कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाए, तभी चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है और चुनाव आयोग की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि चुनाव आयेाग ने एक के बाद एक क्रान्तिकारी कदम उठाकर भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले देशों की सरकारें जनता की होती हैं, जनता के लिए होती हैं और जनता द्वारा चलायी जाती हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में ही सत्ता की बागडोर होती है। देश का प्रत्येक बालिग और मत देने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति इस निर्वाचन में भाग लेता है। इस

प्रकार प्रजातांत्रिक देशों की सरकारें वास्तविक तौर पर जनता की सरकारें होती हैं। भय, दबाव, प्रलोभन आदि से प्रभावित चुनाव नाममात्र के चुनाव होते हैं। प्रजातंत्र के नाम पर वे केवल एक नाटक एवं ढकोसला बनकर रह जाते हैं। अतः सही मायने में लोकतंत्र का दावा करने वाले देशों में चुनावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है।

भारत एक ऐसा ही देश है जिसकी आत्मा में सही प्रजातन्त्र निवास करता है। यहां निर्वाचन मात्र एक नाटक एवं ढकोसला नहीं होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है।

झुग्गी–झोपड़ी में निवास करने वाले निर्धन से लेकर अट्टालिकाओं में बसने वाले धनिकों को समान मताधिकार प्राप्त है। चुनावी प्रक्रिया में "कृष्ण और सुदामा" की एक सी भूमिका होती है तभी तो यहां देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए राजेन्द्र प्रसाद, राधा कृष्णन और गिरी जैसे दिग्गजों के साथ धरती पकड़ और लाटरी वाला सामान्य नागरिकों के भी नाम आते हैं और यह सब चुनाव आयोग द्वारा बखूबी निभायी गई अपनी भूमिका के कारण ही संभव हो पाता है।

अन्त में, उपसंहार रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि चुनाव आयोग ने चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा चुनावी महौल को शांत, हिंसा रहित, भ्रष्टाचार और भयमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी आयोग को अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय और सार्थक बनाने के लिए कुछ और प्रयास करने होंगे जैसे–

(प) चुनाव में समाज के अनेक वर्ग के लोग भाग लेते हैं इनमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी टिकट मिल जाता है जिनका पृष्ठाधार (बैकग्राउण्ड) अच्छा नहीं होता, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति दूसरे प्रकार की होती है जो देश सेवा एवं समाज सेवा के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं अतः ऐसे लोगों को चुनाव से वंचित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक उम्मीदवार के पृष्ठधार का पता लगाया जाये।

(पप) चुनाव आयोग को दल–बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी कुछ करना होगा, क्योंकि एक राजनीतिक दल किसी को इसलिए उम्मीदवार बनाता है कि वह व्यक्ति चुनाव में विजयी होने पर उस पार्टी के आदर्शो और सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार करते हुए पार्टी के प्रति जनता का विश्वास अर्जित करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब दूसरे राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसका यह कार्य उस दल तथा जनता के प्रति विश्वासघात है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन अवैध घोषित कर देना चाहिए। स्वस्थ राजनीतिक परम्परा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वाह के लिए इस प्रवृत्ति को रोकना बहुत आवश्यक है।

इसी की पहल करते हुए चुनाव आयोग ने देश में चुनाव सुधारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर व्यापक बहस होनी चाहिए और राजनीतिक दलों और केन्द्र व राज्य सरकारों को चुनाव आयोग से बातचीत के आधार पर कुछ फैसले करने चाहिए जिससे चुनाव की निष्पक्षता असंदिग्ध हो सके और कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल हमारी चुनाव प्रक्रिया की खामियों का लाभ न उठा पाए। चुनाव आयोग ने दल–बदल कानून के अन्तर्गत फैसला करने का अधिकार आयोग को देने की सिफारिश की है, विधानसभा व लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमन का काम उसके हाथ में देने की सिफारिश की है। इस पर मतभेद होना स्वाभाविक

है लेकिन जो मुद्दे चुनाव आयोग ने उठाए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चुनाव सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा जिसकी आवश्यकता राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की वजह से ज्यादा महसूस की जाने लगी है।[65] इन सुझावों पर अमल करने पर ही चुनाव आयोग को अपनी भूमिका को और अधिक सकारात्मक बनाने में ज्यादा बल मिलेगा।

निर्वाचन आयोग के कामकाज के लिए संविधान में की गई व्यवस्था सुस्पष्ट है उसका पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है। इधर कुछ वर्षो में बढ़–चढ़ कर बोलने और नए–नए विवादों को जन्म देने की जो प्रवृत्ति सामने आई है उससे ऐसा नहीं लगता कि चुनावों के वातावरण को बेहतर बनाने में कोई मदद मिली हो। चुनावों को कैसे शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया जाए, उसमें धनबल और भुजबल की भूमिका को कैसे कम से कम किया जाए, यदि निर्वाचन आयोग इस तरफ अपना पूरा ध्यान दे तो निश्चय ही वह देश में निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के साथ स्वच्छ बनाने की दिशा में भी और अधिक कारगर भूमिका निभा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. पायली, एम.वी.: भारतीय संविधान, 1964, पृ. **377** ।
2. पूर्वाक्त, पृ. **378** ।
3. बसु, दुर्गादास : भारत का संविधान – एक परिचय, 1994, पृ. **366–367** ।
4. राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 9 मई, 1996 ।
5. इण्डिया टूडे : नई दिल्ली, 15 जून, 1996, पृ. **46** ।
6. इण्डिया टूडे : नई दिल्ली, 15 जून, 1996, **48** ।
7. आज, वाराणसी, 28 जनवरी, 1994 ।
8. राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1996 ।
9. पूर्वाक्त।
10. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 25 मई, 1994 ।
11. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1998 ।
12. अमर उजाला, मेरठ, 20 दिसम्बर, 1997, पृ.–**1**
13. राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1996 ।
14. अमर उजाला, मेरठ, 16 सितम्बर, 1998
15. अमर उजाला, मेरठ, 16 सितम्बर, 1998 ।
16. अमर उजाला, मेरठ, 29 जून, 1997 ।
17. राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 11 मई, 1996 ।
18. माया, इलाहाबाद , 15 मई, 1996 ।
19. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1996 ।
20. दिद्ये, शरद, सुन्दरियाल, आर.बी. चुनाव सुधार एवं प्रक्रिया, 1997 पृ. **95–96**
21. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 20 जुलाई, 1998